

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

34 / 2020
02.03.2020

गोपी पुत्र श्रीया जाति धाकड निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला-टोंक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 14.10.2019 मिसल नम्बर 705 / 2019

उपस्थिति : (1) श्री योगेश व्यास, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 23.05.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 14.10.2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2888 रकबा 0.02 हे० किस्म गे०मु०बाडा वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 2000/रु. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलान्ट को जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। ग्राम सोप में उक्त भूमि पर अपीलान्ट के मकान के अलावा भी लगभग 100-150 मकानात बने हुए हैं। अपीलान्ट व उसके पूर्वजों का उक्त भूमि पर गत 80 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा है। अपीलान्ट को कभी भी बेदखल नहीं किया गया



जिला कलेक्टर
टोंक

४। अपीलान्त ने उक्त भूमि पर मकान बना रखा है, जिसमें सपरिवार निवास कर रहा है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2888 रकबा 0.02 है 0 किस्म गे0मु0 बाडा वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान बनाकर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 90 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 68/2018 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्त पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त को और से बलराम की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2888 रकबा 0.02 है 0 किस्म गे0मु0 बाडा वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान बनाकर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 68/2018 निर्णय दिनांक 15.11.2018 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 14.10.2019 यथावत रखा जाता है। रथगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर टोक